क्रम संख्या–101 (घ)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025 ई0

आश्विन 01, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग–3

संख्या– 1555/X–3–25/1(68)/2019/E-86869

देहरादूनः दिनांकः 23 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0 आ0–71

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत प्रस्तावित बेरीनाग–पुरानाथल मार्ग से बड़ेत बाफिला मोटर मार्ग हेतु हस्तान्तरित 01.68 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ङ बंजर काबिल आबाद/10(4) बंजर नाकाबिल आबाद कुल 03.360 है0 भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैंः–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खेत सं0	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पिथौरागढ़	हड़ियातनाघर	कालासीला	15	4622 4640 5513 5938	0.300 0.720 0.740 0.220	श्रेणी 9(3)ङ बंजर काबिल आबाद
					4584 4634 5510 5512 6005 6079 6081	0.080 0.400 0.120 0.280 0.320 0.120 0.060	श्रेणी 10(4)ङ बंजर नाकाबिल आबाद
	योग–					**03.360**	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,

कल्याणी,
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **1555/X-3-25/01(68)/2019-E-86869,** Dehradun dated September 23, 2025 for general information:

File No. 1555/X-3-25/01(68)/2019-E-86869

Dehradun Dated, September 23, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)anga Banjar Kabil Aabad)/10(4) Banjar Nakabil Aabad, total 03.360 hectare as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Pithoragarh to the forest department for compensatory plantation against the 01.68 hectare Reserve Forest land transferred repectively for the construction of motor road from Berinag Puranathal to Badeth Bafila in District Pithoragarh, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	village	Patti	Khata No.	Khet No.	Area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pithoragarh	Hadiyatnaghar	Kalasila	15	4622 4640 5513 5938	0.300 0.720 0.740 0.220	Category- 9(3)anga / Kabil Aabad
					4584 4634 5510 5512 6005 6079 6081	0.080 0.400 0.120 0.280 0.320 0.120 0.060	Category- 10(4)Banjar Nakabil Aabad
	Total:-					**03.360**	

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

By Order,

KALYANI,
Additional Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12/वन पर्या0/470–2025–100+25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।